"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2010— श्रावण 29, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवाशिष सेन आत्मज श्री गणेश चंद्र सेन, उम्र-54 वर्ष, निवासी-म. नं.-63/2 मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र अतनु सेन के नाम को परिवर्तित कर नया नाम इंदरजीत सेन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को इंदरजीत सेन आत्मज श्री देवाशिष सेन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अतनु सेन	इंदरजीत सेन
आत्मज-श्री देवाशिष सेन	आत्मज-श्री देवाशिष सेन
निवासी-म. नं.-63/2	निवासी-म. नं.-63/2
मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई	मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई
तह. व जिला दुर्ग	तह. व जिला दुर्ग
(छ. ग.) - 490020	(छ. ग.) - 490020

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमिताभ सेन आत्मज श्री देवाशिष सेन , उम्र-19 वर्ष, निवासी-म. नं.-63/2, मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विक्रमादित्य सेन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विक्रमादित्य सेन आत्मज श्री देवाशिष सेन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अमिताभ सेन आत्मज-श्री देवाशिष सेन निवासी-म. नं.-63/2 मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) - 490020	विक्रमादित्य सेन आत्मज-श्री देवाशिष सेन निवासी-म. नं.-63/2 मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) - 490020

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 13th August 2010

Tender Notice

No. GB-IV Paper-(1) 2010-2011/604.—Sealed Tenders are invited for supply of approximately 50 M. T. (±25%) White Offset Paper and 62 M. T. other various kinds of papers i. e. Craft paper, Cover Manila, Maplitho Paper etc., for the printing works of the department to the Govt. Press at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing paper 2010-2011 are invited from the paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Annual Excise clearance for 16000 Tonnes (only for White Offset paper) based on 50 TPD for about 320 Industrial days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. 13-9-10 along with test report of papers from Govt. Laboratory.

2. The tender will be considered only on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website **www.etendersindia.net**

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office, Civil Line in person on any working days during working hours upto 06-9-2010 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs. 1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G. Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 30-8-2010. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :- Tender form can be downloaded from **www.etendersindia.net.**

Sd/-
(K. Sreenivasulu)
Commissioner
Govt. Printing and Stationery Department
Behind Old Commissioner Office
C. G. Raipur
Phone No.-2331302.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक/उपकां/परिसमान/09-10/546.—संस्था के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का संधारित रिकार्ड एवं वित्तीय पत्रक अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराने विभागीय स्तर से निर्देशित कर नियत तिथियों में आहूत किया गया, किंतु अनुपस्थित रहे, एवं संस्था के संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की कार्यवाही प्रस्तुत कर पंजीयन निरस्त हेतु निवेदन किये. फलस्वरूप आम सभा में लिये गये निर्णय एवं पारित अंकेक्षण टीप प्रस्तुत करने लेख किया अपितु उपलब्ध नहीं कराया गया.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2009/386 दिनांक 10-07-2009 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया था परंतु संस्था से समयावधि में जवाब/व्यक्तिगत सुनवायी में असमर्थ रहे, बल्कि पंजीयन निरस्त करने निवेदन किये थे.

अत: मैं, सी. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-7-3/सह./15/2436 रायपुर दिनांक 13-06-2001 द्वारा मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम को स. वि. अ. पंखाजूर को नव ज्योति महिला बहु. समि. मर्या., सत्यानंदपल्ली पंखाजूर पं . क्र. 495 दिनांक 29-11-04 विकासखंड कोयलीबेड़ा का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 3-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप - पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपको/परि./458.— मजदूर विकास काम. एवं कारी. सहकारी समिति मर्या., डुगूपारा, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 29 दिनांक 15-5-09 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपको/परि./857/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., डुगूपारा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मजदूर वि. काम. कारी. सहकारी समिति मर्यादित, डुगूपारा विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 29 दिनांक ...... का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपंको/परि./459.—रश्मि ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जमनीपाली, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 27 दिनांक 4-2-02 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./860/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., जमनीपाली को सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए रश्मि ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, जमनीपाली विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 27 दिनांक 4-2-02 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपंको/परि./460.—ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटघोरा, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 82 दिनांक 29-9-95 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./130/दिनांक 14-02-03 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख., कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटघोरा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, कटघोरा विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 82 दिनांक 29-9-95 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह ओदश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपंको/परि./461.—आदर्श हसदेव विद्युत सहकारी समिति मर्या., जैलगांव, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 26 दिनांक 4-3-02 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./859/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., जैलगांव की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए आदर्श हसदेव विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, जैलगांव विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 27 दिनांक 4-3-02 का पंजी - : निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपंको/परि./462.—श्री भवानी प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., कटघोरा, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 3687 दिनांक 7-9-95 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./815/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., कटघोरा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए श्री भवानी प्राथ. उप सहकारी समिति मर्यादित भंडार कटघोरा विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 3687 दिनांक 7-9-95 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपंको/परि./463.—औद्योगिक श्रमिक कल्याण सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 3930 दिनांक 09-3-99 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./855/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए औद्योगिक श्रमिक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, गोपालपुर विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 3930 दिनांक 9-3-99 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/उपंको/परि./464.—भू. वि. कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., अगारखार, वि. ख. कटघोरा, पंजी. क्र. 3877 दिनांक 26-6-97 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./854/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., अगारखार की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए भू. वि. काम. एवं कारी. सहकारी समिति मर्यादित, अगारखार विकासखंड कटघोरा को पंजीयन क्रमांक 3877 दिनांक 26-6-97 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.